

प्रेस विज्ञप्तिथाना सिधारीफर्जी व कूटरचित दस्तावेज बनाने वाले गिरोह के साथ मिलकर सगे भाई का जमीन बैनामाकरने वाला 05 गिरफ्तार, उपकरण भी बरामद

दि० 25.01.2021 को वादी मुकदमा रामेश्वर पुत्र सीताराम ग्राम- हेमजापुर , थाना- रानी की सराय जिला- आजमगढ़ एक किता लिखित तहरीर दिये कि सगे भाई रमेश पुत्र सीताराम निवासी ग्राम हेमजापुर द्वारा एक किता बैनामा दिनांक 15.01.2021 को हमारी जमीन को अपना फोटो लगाकर व हमारी फर्जी हस्ताक्षर बनाकर दिनांक 15.01.2021 को ग्राम हेमजापुर की गाटा सं० 58 का बैनामा कर दिया गया है। वादी के तहरीर के आधार पर मु०अ०स० 19/2021 धारा 419,420,467,468,471,506 भादवि पंजीकृत कर विवेचना अमल मे लाई गयी।

गिरफ्तारी का विवरण-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे फर्जी तरीके से दस्तावेज कूटरचित कर अपराध करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अभियान व अवैध शराब माफियों की गिरफ्तारी व सघन चैकिंग/वांछित/वारण्टी व टाप 10 अपराधियों की शत प्रतिशत गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री पंकज पाण्डेय व श्रीमान् क्षेत्राधिकारी नगर निष्ठा उपाध्याय के कुशल निर्देशन में निरीक्षक अपराध श्री विजय प्रताप सिंह द्वारा उक्त मुकदमे की गहनता से विवेचना कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु मय राहीगण के साथ पहलवान तिराहे पर मामूर थे कि जरिये विश्वास सूत्रों से पता चला कि मु०अ०स० 19/2021 मे वांछित अभियुक्त विश्वकर्मा तिराहे पर किसी वकील से मिलने वाले है। मुखबिर खास की बात को विश्वास करके विश्वकर्मा तिराहे के लिये चल दिये। विश्वकर्मा तिराहे पर मुखबिर खास ने ईशारा किया कि साहब वही व्यक्ति है जो खड़े है पुलिस वाले जैसे ही व्यक्तियों के पास पहुँचे तो वह भागने लगे तभी विश्वकर्मा तिराहे के पास से समय 18.10 बजे दिनांक 17.06.2021 को पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम क्रमशः 1. रमेश यादव पुत्र सीताराम सा० हेमजापुर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ उम्र 36 वर्ष 2. त्रिभुवन पुत्र फूलचन्द सा० रेन्दुआ थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ उम्र 35 वर्ष।

पूछताछ का विवरण - 1 रमेश यादव पुत्र सीताराम सा० हेमजापुर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ उम्र 36 वर्ष 2. त्रिभुवन पुत्र फूलचन्द सा० रेन्दुआ थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ उम्र 35 वर्ष कड़ाई से पूछताछ करने पर बता रहे है कि साहब दि० 14.01.2021 को आधार कार्ड व निवार्चन कार्ड को सिविल लाईन पुलिस चौकी के सामने आजमगढ़ पर जाकर राजू काजू फोटो स्टेट के दुकानदार राजू कुमार के दुकान पर जाकर अपना आधार कार्ड पर अपने भाई का नाम लिखने के लिये कहा तो कुछ पैसे लेकर बनाने के लिये तैयार हो गया तब राजू कुमार ने अपने परिचित दोस्त सन्तोष यादव को फोन करने बुलाया अपे दुकारन पर तब कहा कि इनके साथ चले जाओ आपका काम हो जायेगा। तब मै सन्तोष की दुकान पर गया तब जाकर वहा पर प्रिन्टर, स्कैनर के मदद से मेरे आधार कार्ड पर गेरे छोटे भाई रामेश्वर यादव का नाम स्कैन करके लिख दिया।

बरामदगी

- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| 1-एक अदद लैपटाप | 5-एक अदद मैजी कार्ड प्रिन्टर |
| 2-एक अदद प्रिन्टर रंगीन मशीन | 6-दो अदद आधार कार्ड |
| 3-एक अदद स्कैनर प्रिन्टर रंगीन | 7-दो अदद निवार्चन कार्ड |
| 4-एक अदद मैजी कार्ड प्रिन्टर मशीन, | |

पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या

मु0अ0सं0 19/2021 धारा 419/420/467/468/471/506 भादवि थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त

1. रमेश यादव पुत्र सीता राम सा0 हेमजापुर थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़,
2. त्रिभुवन पुत्र फूलचन्द सा0 रेन्दुआ थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़,
3. राजू कुमार पुत्र बगेदू सा0 समेदा थाना सिधारी जनपद आजमगढ़,
4. संतोष कुमार पुत्र सूर्यभान यादव सा0 बनकट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़,
5. धनन्जय कुमार पुत्र रामनयन सा0 महलिया थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास अभि0 धनन्जय कुमार पुत्र रामनयन सा0 महलिया थाना मुबारकपुर आजमगढ़

मु0अ0सं0 23/2019 धारा 294 भादवि थाना महिला थाना जनपद आजमगढ़ ।

आपराधिक इतिहास अभि0 त्रिभुवन पुत्र फूलचन्द सा0 रेन्दुआ थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

मु0अ0सं0 0055/21 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना रानी की सराय आजमगढ़

आपराधिक इतिहास राजू कुमार पुत्र बगेदू सा0 समेदा थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

मु0अ0सं0 226/2017 धारा 147/148/323/354(क),452,504,506 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़

गिरफ्तार /बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण

प्रभारी निरीक्षक श्री धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय थाना सिधारी आजमगढ़

निरीक्षक अपराध श्री विजय प्रताप सिंह थाना सिधारी आजमगढ़

का0 प्रफुल वर्मा थाना सिधारी आजमगढ़

का0 शिवशंकर सोनी थाना सिधारी आजमगढ़

का0 अरविन्द यादव थाना सिधारी आजमगढ़